लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट।

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 22 जनवरी, 2005 ई० (माघ 2, 1926 शक संवत्)

"सम्पत्तिकर आरोपण"

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचित (स्थानीय निकाय), खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड-घ---जिला पंचायत

3 जनवरी, 2005 ई०

सं0 1275-76/23-31-2004—पंचायती राज अनुभाग-2 शासनादेश संख्या 1011 जी/35-2-94-78/76, दिनांक 18 फरवरी, 92 के अन्तर्गत उ0 प्र0 जिला परिषद् (भिवान एवं सम्पत्ति कर का आरोपण निर्धारण और वसूली) नियमावली, 1994 के प्राविधानों को लागू करने के सम्बन्ध में पूर्व से लागू नियमों में संशोधन का विवरण: जो जिला पंचायत, प्रतापगढ़ बैठक दिनांक 6 अगस्त, 1994 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा पारित किया गया।

वर्तमान	संशोधित
1--कर की अधिकतम सीमा रु0 2000.00 (दो हजार रुपये) मात्र	1--कर की अधिकतम सीमा रु0 6000.00 (छः हजार रुपये) मात्र।
2--कर निर्धारित करने के लिए वर्ष का आधार 31 दिसम्बर	2--कर निर्धारित करने के लिए वित्तीय वर्ष
3--जिला परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी	3--कार्य अधिकारी जिला पंचायत कर निर्धारण अधिकारी होंगे। उनके न होने पर परिषद् इसकी नियुक्ति करेगी।
5--(1) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सूची तैयार करना (28 फरवरी)।	5--15 दिसम्बर
(2) सूची में नाम सम्मिलित करना (31 मार्च)।	20 जनवरी

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

वर्तमान	संशोधित
6--30 अप्रैल तक अथवा इसके पूर्व सूची जिला पंचायत में प्रस्तुत करना	29 जनवरी या इसके पूर्व प्रस्तुत करना 15 फरवरी तथा जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन करके वापस करना ।
8--स्पेशल कमेटी	8--कर निर्धारण अधिकारी
14--किस्त 1 अप्रैल	15 मई
1 अक्टूबर	15 नवम्बर
	15 मई या इसके पूर्व पूर्णधन जमा करने पर 1 प्रतिशत की छूट
कर की दर	3/पैसा प्रति रुपया
आय 201 से 500 तक 2 पाई	
आय 501 से 2000 तक 3 पाई	
आय 2000 के ऊपर 4 पाई	

डा0 ललित वर्मा,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद-1

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

पी0एस0यू0पी0--43 हिन्दी गजट--भाग-3--2005 ई0।
मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 29 अगस्त, 2009 ई० (भाद्र 7, 1931 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख--नगर पंचायत, खण्ड ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ--जिला पंचायत

खण्ड घ--जिला पंचायत

12 जून, 2009 ई०

सं0 2197-98/23-11-2007--उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) (च) (घ) के अन्तर्गत क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ने उत्तर प्रदेश गज़ट 10 सितम्बर, 1983 में जिला पंचायत प्रतापगढ़ अपने प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानों/व्यवसायों की संशोधित लाइसेन्स उपविधि बनायी थी। जिसकी पुष्टि आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा कर दी गयी है। एतदर्थ उक्त धारा के अन्तर्गत संशोधित उपविधि शासकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधन.

नियम 8 में निम्न बढ़ोत्तरी एवं संशोधन का प्राविधान किया जाता है :

क्र0 सं0	व्यवसाय	प्रतापगढ़ की प्रचलित दर	फतेहपुर की प्रचलित दर	इलाहाबाद की प्रचलित दर	प्रतापगढ़ की प्रस्तावित दर
1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0	रु0	रु0
1	कपड़े की बड़ी दुकान लागत 10 हज़ार के ऊपर	35.00	500.00	1000.00	500.00
2	कपड़े की छोटी दुकान	20.00	250.00	200.00	250.00
3	गल्ले की दुकान 10 कु0 तक	25.00	200.00		200.00
4	गल्ले की दुकान 10 कु0 के ऊपर	50.00	300.00		300.00
5	परचून की दुकान पर	20.00	200.00		200.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
[illegible]	जनरल स्टोर्स / बिसातखाना	35.00	200.00		200.00
[illegible]	किराना (?) बड़ी	50.00	..		500.00
[illegible]	किराना (?) छोटी	50.00	200.00		200.00
9	साइकिल स्टोर्स (टायर, ट्यूब) आदि	50.00	400.00	1000.00	400.00
10	साइकिल मरम्मत पार्ट सहित	15.00	50.00	..	100.00
11	बर्तन (सिल्वर / पीतल / स्टील)	50.00	300.00	500.00	400.00
12	सर्राफा	100.00	500.00	1000.00	500.00
13	आभूषण मरम्मत	25.00	300.00	..	200.00
14	मेडिकल स्टोर्स	50.00	300.00	300.00	300.00
15	मेडिकल स्टोर्स (थोक)	50.00	..	..	500.00
16	गीठे की दुकान	25.00	200.00	100.00	200.00
17	ढाबा, होटल तथा रेस्टोरेन्ट	25.00	..	500.00	500.00
18	किताब कापी की बड़ी दुकान	25.00	300.00	..	300.00
19	किताब कापी की छोटी दुकान	25.00	..	..	150.00
20	लोहे की दुकान जिस पर सीमेन्ट सरिया बिकती हो	50.00	..	500.00	500.00
21	लोहे की दुकान (नट, बोल्ट, खीला, चारा मशीन	50.00	..	400.00	400.00
22	लोहे की छोटी दुकान	25.00	200.00	..	200.00
23	लकड़ी फर्नीचर की दुकान	25.00	300.00	400.00	300.00
24	कृषि यन्त्र की दुकान	50.00	500.00	500.00	500.00
25	आरा मशीन	50.00	800.00	..	500.00
26	कोयले की दुकान	25.00	300.00	1000.00	300.00
27	मशीनरी स्टोर्स	50.00	..	..	500.00
28	जूता चप्पल की दुकान	20.00	200.00	200.00	200.00
29	टीन के चादर व बॉक्स की दुकान	50.00	300.00	..	300.00
30	मिठाई की बड़ी दुकान	35.00	..	..	300.00
31	सिलाई मशीन 5 के ऊपर	20.00	300.00	..	300.00
32	सिलाई मशीन 5 के नीचे	10.00	300.00	..	200.00
33	घड़ी बेचने की दुकान	50.00	150.00	500.00	250.00
34	घड़ी मरम्मत की दुकान	20.00	150.00	100.00	150.00
35	रेडियो की दुकान	50.00	200.00	500.00	300.00
36	रेडियो मरम्मत की दुकान	20.00	200.00	..	150.00
37	टी० वी० इलेक्ट्रॉनिक दुकान	25.00	300.00	300.00	300.00
38	बिजली सामान की दुकान	25.00	300.00	..	300.00

सत्यापित

1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
39	मिट्टी का तेल/मोबिल/डीज़ल की दुकान (अलग–अलग) तीनों पर	25.00	300.00		300.00
40	बीज भण्डार	25.00	200.00	250.00	200.00
41	फल एवं सब्जी की सम्मिलित दुकान	10.00	100.00	. .	100.00
42	केवल फल की दुकान	10.00	100.00	. .	100.00
43	केवल सब्जी की दुकान	10.00	100.00	. .	100.00
44	लाउड स्पीकर	15.00	200.00	200.00	200.00
45	सैलून की दुकान	10.00	100.00	. .	100.00
46	लकड़ी की दुकान	15.00	500.00	1000.00	500.00
47	ऑटो पार्ट्स (दो पहिया)	50.00	. .	1500.00	300.00
48	ऑटो पार्ट्स (चार पहिया)	50.00	300.00	2000.00	500.00
49	मोटर गैरेज	25.00	300.00	1000.00	300.00
50	स्कूटर, मोटर साइकिल गैरेज	25.00	300.00	500.00	250.00
51	खाद की दुकान	25.00	300.00	1500.00	300.00
52	हथियार अग्नेय शस्त्र की दुकान	100.00	300.00	. .	300.00
53	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	25.00	200.00		200.00
54	क्राकरी की दुकान	10.00	200.00	. .	200.00
55	बिल्डिंग व खराद मशीन (अलग–अलग पर)	20.00	300.00	. .	300.00
56	पेट्रोल पम्प	100.00	2000.00	2000.00	2000.00
57	सीमेन्ट जाली व अन्य सामान	10.00	. .	. .	300.00

वर्तमान उपविधि के क्रम सं० 57 के पश्चात् निम्न उपविधियों का बढ़ाया जाना

1	2	3	4	5	6
58	लोहे की बड़ी दुकान	. .	500.00	. .	500.00
59	मिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट पाइप, जंगला, सीनेटरी फिटिंग की दुकान (अलग–अलग पर)	. .	200.00	. .	200.00
60	पावर–थ्रेसर बनाने या बेचने तथा लोहे की जाली, दरवाजा बनाने की दुकान	. .	500.00	2000.00	500.00
61	बालू, मोरम, चूना, सुर्खी, राखी, बांस, बल्ली (बिल्डिंग मटेरियल)	. .	200.00	500.00	200.00
62	परचून की बड़ी दुकान पर	. .	300.00	. .	300.00
63	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान	. .	300.00	. .	300.00
64	चाय, लस्सी, शरबत, सोडा वाटर/लिमका आदि	. .	200.00	. .	200.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

	2	3	4	5	6
		(रु0)	(रु0)	(रु0)	(रु0)
	...की दुकान		100.00		100.00
	... की सामान्य दुकान		150.00		150.00
	... व दूध की दुकान	..	200.00	..	200.00
	रुई बेलने की दुकान	..	150.00	..	150.00
	रुई धुनने की दुकान (पावर द्वारा)	..	200.00	..	200.00
70	तम्बाकू खाने व पीने की दुकान	..	150.00	..	150.00
71	गुड़, लाई, मोमबत्ती की दुकान	..	150.00	..	150.00
72	नौटंकी कम्पनी, खेल तमाशा तथा मनोरंजन	..	400.00	..	400.00
73	बीन, तासा, बाजा कम्पनी पर	..	100.00	..	100.00
74	बैण्ड कम्पनी पर	..	300.00	..	300.00
75	दूध खरीद कर नगरों/कस्बों को भेजने पर	..	200.00	..	200.00
76	चाट, सिंघाड़ा तथा अन्य खाने का सामान (चार पहिया ठेलिया पर)	..	100.00	..	100.00
77	आयल इंजन तथा बिजली मोटर के बिक्री की दुकान पर	..	500.00	..	500.00
78	लकड़ी की खराद मशीन पर	..	300.00	..	300.00
79	मोटर की दुकान पर	..	300.00	..	300.00
80	कबाड़ की दुकान पर	..	500.00	..	500.00
81	अण्डा बिक्री की दुकान पर	..	100.00	..	100.00
82	कपड़े की रंगाई	..	100.00	..	100.00
83	टी0वी0/वी0सी0आर0/वी0सी0पी0/वी0डी0ओ0 किराये पर देने की दुकान	..	500.00	500.00	500.00
84	वी0डी0ओ0 कैसेट की दुकान पर	..	300.00	..	300.00
85	फोटो कापी/फोटो स्टेट की दुकान	..	250.00	1000.00	250.00
86	गैस बत्ती/पेट्रोमैक्स किराये पर देने की दुकान	..	200.00	..	200.00
87	टेण्ट हाउस पर	..	500.00	..	500.00
88	बिजली जेनेरेशन की दुकान पर	..	300.00	..	300.00
89	ट्रैक्टर ट्राली द्वारा किराये पर सामान ढोने पर	..	500.00	..	500.00
90	गल्ला अथवा अन्य मौसमी वस्तु (प्याज, कुमहड़ा, आलू आदि के व्यवसाय के क्रय विक्रय पर)	..	500.00	..	500.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

1	2	3	4	5	6
91	खोंचे के व्यवसाय पर	..	200.00	..	200.00
92	गल्ला, धान आदि की आढ़त किसी प्रकार की होने पर		1000.00		1000.00
93	दो पहिया/चार पहियों वाहन की बिक्री एजेन्सी पर		2000.00		2000.00
94	पी०सी०ओ०/फैक्स/दूध क्रीम मक्खन की मशीन	..	500.00	1000.00	500.00
95	फोटो ग्राफर	..	300.00		300.00
96	मछली/बकरा गोश्त आदि की दुकान पर	..	500.00		500.00
97	बूचड़ खाना	..	..	..	5000.00
98	बाध की दुकान पर	..	200.00	..	200.00
99	प्लास्टिक के सामान आदि की दुकान	..	300.00	..	300.00
100	जुआड़ मेल/माल ढोने वाले तीन पहिया वाहन पर	..	500.00	..	500.00
101	नर्सिंग होम	..	..	..	2000.00
102	सिनेमा घर पर	..	2000.00	..	2000.00
103	तेल डिपो किसी प्रकार का होने पर	..	2000.00	..	2000.00
104	प्रत्येक धान मशीन	..	600.00	..	500.00
105	प्रत्येक आइस कैण्डी मशीन	..	300.00	..	300.00
106	प्रत्येक आटा मशीन पर	..	300.00	..	300.00
107	प्रत्येक तेल मशीन पर	..	300.00	..	300.00
108	प्रत्येक रुई मशीन पर	..	200.00	..	300.00
109	प्रत्येक पाइलेशर मशीन पर	..	1500.00	..	1500.00
110	प्रत्येक दाल मशीन के लिये	..	500.00	..	500.00
111	प्रत्येक मसाला पीसने की मशीन पर	..	300.00	..	300.00
112	गुड़ की दुकान पर	..	...	...	100.00
113	टेलीविजन मरम्मत की दुकान पर	..	300.00	..	300.00
114	बालू मोरम की दुकान पर	..	500.00	200.00	300.00
115	प्रिन्टिंग प्रेस	..	2000.00	2000.00	1000.00
116	खाद एजेन्सी	..	2000.00	2000.00	1000.00
117	सीमेन्ट एजेन्सी	..	2000.00	2000.00	1000.00
118	लोहे की आलमारी बक्सा आदि पर	..	1000.00	1000.00	500.00
119	रोड लाइट, जनरेटर की दुकान पर	..	1000.00	1000.00	800.00

सत्यापित-
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

	2	3	4	5	6
		रु०	रु०		रु०
	[illegible]		600.00	[illegible]	300.00
	[illegible] की दुकान		500.00	500.00	500.00
	तेल पेरने की कोल्हू/क्रशर पर	..	200.00		200.00
	गैस सिलेण्डर एजेन्सी/गोदाम		2000.00	2000.00	2000.00
	कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री	..	5000.00		2000.00
125	अन्य व्यवसाय पर	..	500.00		500.00

नियम 7 में उल्लिखित रु० 5.00 अर्थ दण्ड के स्थान पर माह अप्रैल से जून तक विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। माह जुलाई से माह अक्टूबर तक लाइसेंस शुल्क का 25% विलम्ब शुल्क तथा माह नवम्बर से लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत प्रतिमाह या माह के किसी अंश के लिये विलम्ब शुल्क देय होगा।

उपरोक्त नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में चलाये गये मुकदमों में मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/लाइसेन्सिंग अधिकारी मुकदमों का प्रशमन करने के लिये सक्षम होंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि लाइसेन्स शुल्क का 50 प्रतिशत तक प्रशमन शुल्क लेकर ही प्रशमन किया जायेगा।

सारित (दण्ड)

उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 (यथा संशोधित 1994) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत प्रतापगढ़ यह आदेश देता है कि कोई व्यक्ति जो इन उपनियमों से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करेगा उसको अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा। जो रु० 1000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जायेगा कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु० 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन हो सकता है अथवा दण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास के दण्ड से दण्डित होगा। जो तीन माह तक हो सकेगा। भा० द० प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार उपनियमों के उल्लंघन का अपराध संज्ञेय (काग्नेजिबिल) होगा और राजीनामा के योग्य होगा।

सं० 2199-2200/23-11-2007 -- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) (च) (घ) के अन्तर्गत क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ने उत्तर प्रदेश गज़ट 10 सितम्बर, 1983 में जिला पंचायत प्रतापगढ़ ने अपने प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के ट्रान्सपोर्टर, एजेन्सी, कमीशन एजेन्ट, फर्म, प्रापर्टी डीलर के ठेकेदार, पत्थर बजरी आदि की सप्लाई, आबकारी के ठेके (अंग्रेजी/देशी शराब की दुकान) गांजा व भांग की दुकान आदि को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनायी थी। जिसकी पुष्टि आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा कर दी गयी है। एतदर्थ उक्त धारा के अन्तर्गत संशोधित उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1 यह उपविधियाँ व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, ट्रान्सपोर्टर, एजेन्सी, कमीशन एजेन्ट सप्लायर्स, आबकारी आदि के उपनियम 2006-07 कहलायेगी।

2 यह उपविधियाँ जनपद-प्रतापगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार का कार्य एवं व्यवसाय तथा संस्था, सहकारी समिति, ट्रान्सपोर्टर, एजेन्सी, कमीशन एजेन्ट, सप्लायर्स, प्रापर्टी डीलर, ठेकेदार पत्थर, बजरी आदि की सप्लाई, आबकारी (अंग्रेजी/देशी शराब, भांग की दुकान) आदि का व्यवसाय तभी कर सकते हैं या तभी करने योग्य समझे जायेंगे जब उनके पास जिला पंचायत का तद्विषयक लाइसेन्स हो। यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

3 कोई भी व्यक्ति संस्था सहकारी समिति निगम, परिषद, गवर्नमेन्ट अन्डर टेकिंग गैर सरकारी संस्था, प्राधिकरण आदि में तब तक किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे कार्य करने योग्य नहीं माने जायेंगे जब तक कि उसके पास जिला पंचायत प्रतापगढ़ का उक्त विषयक लाइसेन्स न हो। जैसे--ट्रान्सपोर्टर, सप्लायर्स, प्रापर्टी डीलर, आबकारी (अंग्रेजी/देशी शराब), गांजा व भांग की दुकान/ठेके का लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी

जिला पंचायत-प्रतापगढ़

(5)

4--लाइसेन्स अपर मुख्य अधिकारी के अनुमोदन पर कार्यालय [illegible] जिला पंचायत की लाइसेन्स जारी [illegible] करने का अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि अपर मुख्य अधिकारी [illegible] की [illegible] गये लाइसेन्स को [illegible] एवं जनहित [illegible] अध्यक्ष के नियन्त्रण में रद्द करने का अधिकार होगा।

5--जनपद में देशी/अंग्रेजी शराब एवं गांजा व भांग की प्रत्येक दुकान का अलग-अलग [illegible] प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6--ट्रान्सपोर्ट व्यवहार में दो से अधिक वाहनों के समूह को कहेंगे या उसने अपनी गाड़ी [illegible] दुकान या वह ट्रान्सपोर्टर के नाम से प्रचलित हो। वह तब तक किसी सरकारी विभाग, गैर सरकारी विभाग तथा [illegible] तौर पर कोई भी कार्य करने योग्य नहीं समझा जायेगा।

7--जिला पंचायत का लाइसेन्स प्राप्त कर लें।

लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार की होंगी :

क्र० सं०	व्यवसाय	प्रतापगढ़ की प्रचलित दर	फतेहपुर की प्रचलित दर	इलाहाबाद की प्रचलित दर	प्रतापगढ़ की प्रस्तावित दर
1	2	3	4	5	6
156	ट्रान्सपोर्टर एवं कमीशन एजेन्ट पर	..	500.00	500.00	500.00
157	एजेन्सी (फारवर्डिंग)	..	300.00	300.00	300.00
158	कमीशन एजेन्ट	..	200.00	200.00	200.00
159	बालू, बजरी एवं पत्थर के ठेकेदार	..	500.00	500.00	500.00
160	सभी प्रकार के सप्लायर्स	..	250.00	250.00	250.00
161	फर्म, कम्पनी जिसका वार्षिक व्यवसाय 5 लाख तक हो	..	500.00	500.00	500.00
162	फर्म, कम्पनी जिसका वार्षिक व्यवसाय 5 लाख से अधिक हो	..	1000.00	1000.00	1000.00
163	प्रापर्टी डीलर/एजेन्ट	..	500.00	500.00	500.00
	(क) देशी शराब की दुकान	100.00	1000.00	500.00	1000.00
	(ख) अंग्रेजी शराब की दुकान	100.00	1000.00	500.00	1000.00
	(ग) गांजा व भांग की दुकान	100.00	1000.00	200.00	500.00

8--प्रत्येक विभाग/संस्था निगम या गैर सरकारी विभाग परिषद् प्राधिकरण तथा प्राइवेट संस्था तब तक किसी भी प्रकार का कार्य जैसे-ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी, कमीशन एजेन्ट, सप्लायर्स, फर्म, प्रापर्टी डीलर्स आबकारी आदि से कार्य नहीं करायेगा या उन्हें अपने यहाँ पंजीकृत नहीं करेगा। जब तक कि जिला पंचायत प्रतापगढ़ का उक्त विषयक व्यवसाय का लाइसेन्स प्राप्त न कर लें।

9--एजेन्सी एजेन्ट, ट्रान्सपोर्टर, नदी नाले ठेकेदार/सप्लायर्स, फर्म, प्रापर्टी डीलर, आबकारी (अंग्रेजी/देशी शराब), गांजा व भांग की दुकान के प्रति दुकान के ठेका आदि को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह दिवालिया पागल नहीं है और किसी विभाग द्वारा उसे काली सूची में नहीं रखा गया है।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

10—लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिये होगी। उसका प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में [illegible] नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद नवीनीकरण कराने पर 25 प्रतिशत प्रति माह अथवा [illegible] किसी अंश के लिये विलम्ब शुल्क लाइसेन्स शुल्क के साथ [illegible] होगा। एक वर्ष तक नया लाइसेन्स [illegible] नवीनीकरण कराने पर दूसरे वर्ष लाइसेन्स शुल्क की दुगनी [illegible] (सरचार्ज) के रूप में लाइसेन्स शु[illegible] [illegible] द्वारा लाइसेन्स [illegible] सकेगा।

11—लाइसेन्स की अवधि एक अप्रैल से अनुवर्ती 31 मार्च तक ही वैध होगी।

12—उपविधि का उल्लंघन के आरोप में उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की [illegible] (यथावत् संशोधित, 1994) के अधीन सक्षम न्यायालय में चालान की कार्यवाही की जायेगी।

13—मुकदमा दायर होने के पश्चात् लाइसेन्स अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियुक्त द्वारा लाइसेन्स शुल्क, विलम्ब शुल्क एवं लाइसेन्स फीस तथा अन्य शुल्क एवं विधिक व्यय जमा होने के बाद मुकदमा [illegible] कर सकते।

14—न्यायालय द्वारा जुर्माना होने के बाद लाइसेन्स शुल्क एवं विलम्ब शुल्क जमा होने के बाद ही [illegible] लाइसेन्स निर्गत किये जा सकेंगे।

15—न्यायालय द्वारा जुर्माना होने के बाद लाइसेन्स न होने के आरोप में तब तक चालान की कार्यवाही जारी रहेगी जब तक की अभियुक्त जिला पंचायत, प्रतापगढ़ से लाइसेन्स प्राप्त न कर ले लेगा।

16—अपर मुख्य अधिकारी/लाइसेन्सी अधिकारी को अधिकार होगा कि इन उपविधियों के नियम 7 में उल्लिखित शुल्क की दरों में किसी भी समय वृद्धि कर दें।

शास्ति (दण्ड)

उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 240 (यथा संशोधित 1994) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत प्रतापगढ़ यह आदेश देता है कि कोई व्यक्ति जो इन उपनियमों से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करेगा उसको अर्थ दण्ड से दण्डनीय किया जायेगा। जो 1000.00 रु० (एक हजार) तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जायेगा उसमें अपराधी अपराध करता है 50.00 रु० (पचास) प्रतिदिन हो सकता है अथवा दण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास के दण्ड से दण्डित होगा। जो तीन माह तक हो सकेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार उप नियमों के उल्लंघन का अपराध प्रज्ञेय (काग्नेजिबेल) होगा और राजीनामा के योग्य होगा।

सं० 2201-2202/23-11-2007—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) (च) (घ) के अन्तर्गत क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ने उत्तर प्रदेश गजट 10 सितम्बर, 1983 में जिला पंचायत प्रतापगढ़ ने अपने प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं मरम्मत के कार्य सम्पादित करने वाले लोगों के पंजीकरण हेतु लाइसेन्स निर्गमन हेतु उपविधि बनायी थी। जिसकी पुष्टि आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा पुष्टि कर दी गयी है। एतदर्थ उक्त धारा के अन्तर्गत संशोधित उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1—कोई व्यक्ति फर्म, संस्था या समिति, कम्पनी आदि जो जनपद प्रतापगढ़ में किसी प्रकार के ठेके, किसी भी सरकारी विभाग संस्था समिति, निगम, कम्पनी परिषद्, गवर्नमेण्ट अण्डर टेकिंग आदि में लेना चाहे, उसे इन उपविधियों के अधीन जिला पंचायत प्रतापगढ़ में अपना पंजीकरण करवाकर लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

2—जिस विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, गवर्नमेन्ट अण्डर टेकिंग व समिति आदि के कार्यों के ठेके लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति लाइसेन्स लेना चाहेगा तो इन उपविधियों के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेन्स हेतु उस विभाग संस्था निगम व समिति कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति सहित प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत–प्रतापगढ़ को देना होगा। उस पर अपर मुख्य अधिकारी से पंजीकरण की स्वीकृति के उपरान्त कार्याधिकारी जिला पंचायत को लाइसेन्स निर्गत करने का अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि अपर मुख्य अधिकारी उसको रद्द कर सकते हैं।

सत्यापित
[signature]
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

3—ठेकेदारों को तीन श्रेणियों **प्रथम**, द्वितीय एवं तृतीय में पंजीकृत किया जायेगा [illegible] लाइसेन्स शुल्क की दरें निम्न प्रकार **होगी**। लाइसेन्स शुल्क को जिला पंचायत की जिला निधि में [illegible] करना होगा और यह धनराशि अप्रत्यावर्णीय होगी।

1—प्रथम श्रेणी के ठेकेदार जो 5 लाख से अधिक की धनराशि के ठेके हैं	500.00	500.00	2000.00
2—द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार जो 1 लाख से 5 लाख के अन्दर के ठेके हैं	200.00	200.00	1000.00
3—तृतीय श्रेणी के ठेकेदार जो एक लाख से कम के हैं	100.00	100.00	500.00

4—प्रत्येक विभाग कम्पनी, फर्म, परिषद, निगम, गवर्नमेन्ट अण्डर टेकिंग जो ठेके द्वारा करवाते हैं उनके सम्मुख प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि जब तक कोई व्यक्ति संस्था, कम्पनी या समिति ठेका लेने हेतु जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त न कर लें तब तक ऐसे अधिकारी संस्था या समिति कम्पनी आदि को ठेकेदार की हैसियत से अपने विभाग में पंजीकृत नहीं करेंगे और कोई ठेका स्वीकृत नहीं करेंगे।

5—लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु निम्न प्रारूप में प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, प्रतापगढ़ को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रार्थना-पत्र का फार्म बिक्री योग्य होगा जिसकी कीमत रु० 100.00 (एक सौ रु० मात्र) प्रति फार्म होगी।

प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

मूल्य 100.00 रु० मात्र

1—आवेदक/संस्था/फर्म का पूरा नाम

2—आवेदक के पिता का नाम

3—आवेदक का स्थायी पता

4—आवेदक का वर्तमान पता

5—वर्ष जिसके लिये लाइसेन्स चाहिये

6—क्या आवेदक संस्था फर्म जिला पंचायत द्वारा निर्धारित लाइसेन्स शुल्क देने के लिये तैयार है ?

7—क्या विगत वर्ष आवेदक ने जिला पंचायत का लाइसेन्स प्राप्त किया था यदि हाँ तो लाइसेन्स नं० एवं दिनांक अंकित करें ?

8—क्या विगत वर्ष के लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाना है या नया लाइसेन्स लेना है ?

आवेदक/संस्था/फर्म
के प्रबन्धक के हस्ताक्षर

दिनांक. . . . .

स्वीकृति प्राधिकारी [illegible]

लाइसेन्स निर्गत किया जाता है/नहीं किया जाता है।

स्वीकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर
व पद नाम

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत प्रतापगढ़

9 लाइसेन्स की [illegible] एक वर्ष के लिए होगी। [illegible] प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में [illegible] लाइसेन्स [illegible] अनुमति [illegible] निर्धारित अवधि के अन्दर नवीनीकरण [illegible] की दशा में लाइसेन्स शुल्क की 25 प्रतिशत धनराशि प्रत्येक माह या माह के किसी अंश के लिये विलम्ब शुल्क के साथ जमा [illegible] लाइसेन्स नवीनीकरण किया जा सकेगा।

शास्ति (दण्ड)

उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा [illegible] (यथा संशोधित 1994) अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत प्रतापगढ़ यह आदेश देता है कि कोई व्यक्ति इन उपनियमों से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करेगा [illegible] दण्ड से दण्डनीय किया जायेगा। 1000.00 रु० (एक हजार) तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जा उसमें अपराधी अपराध करता है 50.00 रु० (पचास) प्रतिदिन हो सकता है। अर्थ दण्ड का भुगतान न [illegible] पर कारावास के दण्ड से दण्डित होगा। जो तीन माह तक हो सकेगा। भा० द० प्रक्रिया संहिता, 197 अनुसार उप नियमों के उल्लंघन का अपराध प्रज्ञेय (काग्नेजिबिल) होगा और राजीनामा के योग्य होगा।

सं० 2203-04/23-11-2007 - उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की 239(2) (च) (घ) के अन्तर्गत क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ने उत्तर प्रदेश गजट 10 सितम्बर, 1983 में [illegible] प्रतापगढ़ ने अपने प्रबन्ध समिति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली फैक्ट्रियों, मीलों, कार आदि को नियंत्रित करने हेतु उपनियम बनाये [illegible] जिसकी पुष्टि आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद पुष्टि कर दी गयी है। एतदर्थ उक्त धारा के अन्तर्गत संशोधित उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की से प्रभावी होगी।

उपनियम

1---यह उपनियम जिला पंचायत फैक्ट्री/मिल उपनियम कहलायेगी।

2---यह उपनियम जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्र पर लागू होंगे और ग्रामीण क्षेत्र को वर्तमान [illegible] स्थापित होने वाली समस्त फैक्ट्रियों/मिलों को नियंत्रित करेंगे।

3---यह उपनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4---यह उपनियम अगर ग्राम सभा द्वारा प्रचलित होंगे तो वह सरकारी गजट में प्रकाशन की [illegible] समाप्त हो जायेंगे।

5---परिभाषायें :

(क) ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ उ० प्र० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा में दी गयी परिभाषा के अनुसार होगा।

(ख) शक्ति का अर्थ 1948 की फैक्ट्री अधिनियम, 1963 की धारा 2 ([illegible]) की परिभाषा के अनुसार

(ग) फैक्ट्री का अर्थ ऐसा अहाता व तत्सम्बन्धी जिसकी सीमाओं [illegible] जमीन से है। जिस भाग में किसी वस्तु का उत्पादन क्रिया सम्बन्धी रीति में साधारणतः शक्ति का उपयोग किया [illegible] चीनी के सम्बन्ध में फैक्ट्री शब्द का वही अर्थ होगा जो उ० प्र० चीनी नियन्त्रण अधिनियम [illegible] धारा-3 के क्रमशः खण्ड (ज) एवं (डी०) में परिभाषित है।

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

6. जब तक कोई भी व्यक्ति जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कोई फैक्ट्री नहीं चला सकेगा जब तक उसने आवश्यक शुल्क भुगतान के उपरान्त जिला पंचायत, प्रतापगढ़ से पूरे वर्ष की अवधि के या वर्ष के भाग के लिये लाइसेन्स (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त न कर लिया हो।

7. नई फैक्ट्री/मिल स्थापना करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र फैक्ट्री/मिल मालिक/प्रबन्धक को लेना अनिवार्य है।

8. इन उपनियमों के अधीन लाइसेंस पाने वाले व्यक्ति जन साधारण के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा व सुविधा के लिये नीचे निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा :

(1) फैक्ट्री जिला स्वास्थ्य अधिकारी/अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अधिकृत परिषद् का कोई भी कर्मचारी फैक्ट्री/मिल का निरीक्षण कर सकता है।

(2) पन्द्रह वर्ष से कम उम्र के बालकों को कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

(3) किसी छूत, संक्रामक या घृणास्पद रोगी को फैक्ट्री में कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

(4) जिला पंचायत, प्रतापगढ़ के संतोषानुकूल फैक्ट्री को स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और ठीक मरम्मत में रखना होगा।

(5) चिमनी को पड़ोस की सबसे ऊँची इमारत से पाँच मीटर से कम ऊँचाई पर नहीं होना चाहिये।

(6) असाधारण शोर-गुल रोकने के लिये फैक्ट्री या फैक्ट्री अहाते में शोर रोकने का यंत्र लगाया जाना चाहिये।

(7) फर्श और नालियों का गोरा भरने के बावजूद सालाना पक्की हों तथा उनकी ठीक-ठाक मरम्मत होती रहे, प्रयोग किये हुये पानी की निकासी के लिये ऐसी नालियाँ बनाई जाये जिन्हें जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ठीक समझें।

(8) लाइसेन्स की शर्तों का ठीक प्रकार से पालन करने के लिये लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स पाने वाले को दिये गये निर्देशों को उचित समय के अन्तर्गत पालन करने के लिये जिम्मेदार होना पड़ेगा।

(9) जिला पंचायत, प्रतापगढ़ के अपर मुख्य अधिकारी या इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी लाइसेन्स अधिकारी होगा। इनके द्वारा अध्यक्ष के नियन्त्रणाधीन समय-समय पर परिषद्/जनहित में आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

(10) यदि लाइसेन्स की किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड के अधीन कोई भी कार्यवाही करने के अतिरिक्त लाइसेन्स अधिकारी को लाइसेन्स रद्द करने या रोक देने का अधिकार होगा।

(11) लाइसेन्स अवधि प्रतिवर्ष पहली अप्रैल अगले वर्ष 31 मार्च (एक वर्ष) तक होगी और प्रत्येक लाइसेन्स लेने वाला अपने लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने के लिये अगले वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र देगा।

(12) अगर लाइसेन्स लेने वाला व्यक्ति निर्धारित अवधि के बाद प्रार्थना-पत्र देता है तो लाइसेन्स शुल्क का 25% (पच्चीस प्रतिशत) अधिक दण्ड (सरचार्ज) के रूप में प्रत्येक माह अथवा माह के किसी अंश के लिये देना होगा। यदि कोई नया व्यावसायिक इकाई या व्यवसायी बिना लाइसेन्स पकड़ा जायेगा तो उसे कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से विलम्ब शुल्क के साथ लाइसेन्स शुल्क जमा करने पर लाइसेन्स दिया जायेगा।

(13) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ फैक्ट्री का मानचित्र संलग्न करना होगा।

(14) सरकारी गजट में इन उपविधियों के प्रकाशित होने के पश्चात प्रत्येक मालिक नीचे दिये गये निर्धारित शुल्क को जमा करने के बाद लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत प्रतापगढ़

1	[illegible]	[illegible] की [illegible] पर	[illegible] की [illegible]	[illegible] की [illegible] पर	प्रतापगढ़ की परिसीमा पर
	2	3	4	5	6
		रु0	रु0	रु0	रु0
	[illegible] मिल/फ्लोर मिल	..	5000.00	2000.00	2000.00
	[illegible] राइस मिल		..	1000.00	500.00
	[illegible] मिल पर				
	[illegible] फैक्ट्री	.	5000.00	2000.00	2000.00
		.	1000.00		1000.00
5	सरिया अथवा पाइप बनाने की मिल	..	5000.00	2000.00	2000.00
6	साबुन बनाने की फैक्ट्री पर	..	2500.00	..	2000.00
7	मशीनों के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	..	2000.00	500.00	2000.00
8	चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मिल	..	1500.00	500.00	1000.00
9	गत्ते की पैकिंग बनाने की मिल	..	5000.00	500.00	2000.00
10	स्वस्थ प्लास्टिक के डिब्बे बनाने की मिल	..	2500.00	500.00	2000.00
11	दूध का पाउडर अथवा दूध से अन्य सामग्री बनाने की मिल	..	5000.00	2000.00	1000.00
12	लकड़ी का कोयला बनाने/कोयला पर	..	..	..	1000.00
13	रिइनफोर्स्ड फोर्स्ड, सीमेन्ट कंक्रीट एवं पाइप बनाने पर	..	5000.00	2000.00	4000.00
14	[illegible] उत्पाद पर	..	5000.00		2000.00
15	ट्राली, थ्रेसर बनाने का कारखाना	..	1000.00	..	1000.00
16	प्रत्येक खांडसारी उद्योग/गन्ना कोल्हू पावर द्वारा	..	500.00	2000.00	500.00
17	उपरोक्त के अतिरिक्त पावर से संचालित मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर	..	500.00	500.00	500.00
18	ब्रेड तथा बेकरी बनाने का कारखाना :				
	(अ) 20 मजदूर से अधिक पर	..	..	500.00	1000.00
	(ब) 20 मजदूर से कम पर	.	..	250.00	500.00
19	ट्रक/बस बॉडी बनाने का कारखाना	..	..	2000.00	2000.00
20	हवाई चप्पल बनाने का कारखाना	..	..	..	2000.00
21	बैट्री बनाने का कारखाना	..	..	..	1500.00
22	पेन्ट बनाने का कारखाना	..	..		2000.00
23	अचार/मुरब्बा बनाने का कारखाना	..	..	..	2000.00
24	पोन मिल पर	..	..	2000.00	2000.00
25	[illegible] फैक्ट्री पर	..	..	..	2000.00
26	अन्य बड़ी फैक्ट्री पर (किसी भी [illegible] की)	..	5000.00	..	5000.00
27	अन्य छोटी फैक्ट्री पर (किसी भी [illegible] की)	.	2500.00	..	2500.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

को निलम्बित कर देना निरस्त कर दें जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता न होगी ।

5—परिषद् द्वारा जिस विभाग या संस्था को ठेकेदारी के लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा ठेकेदार उस लाइसेन्स से उसी विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित मूल्य के कार्यों तक ही कर सकेगा ।

6—प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत ठेकेदारी करने के लिये ठेकेदार को अलग-अलग लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा ।

7—ठेकेदार को अपने लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि वह विभाग में कितनी धनराशि तक का ठेका किस प्रकार का लेना चाहता है ।

8—ठेकेदार जिला परिषद् द्वारा निर्धारित की गयी श्रेणी से ऊपर किसी भी दशा में उस विभाग में अधिक धनराशि का ठेका न ले सकेगा । यदि ठेकेदार अपनी श्रेणी से ऊपर धनराशि का ठेका [illegible] चाहे तो वह जिला परिषद् को पुनः प्रार्थना पत्र विभाग के [illegible] की संस्तुति सहित देगा तथा बढ़ाई गई [illegible] श्रेणी के अनुसार लाइसेन्स शुल्क अदा कर देने पर नया लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा । ऐसी स्थिति में पूर्व में नीचे श्रेणी का दिया गया लाइसेन्स स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

9—लाइसेन्स अवधि प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी ।

10—ठेकेदारों को जिला परिषद् द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी में श्रेणीबद्ध व पंजीकृत किया जायेगा ।

श्रेणी का मापदण्ड व लाइसेन्स की दरें निम्नवत् होंगी :—

(अ) 50,000.00 रुपये से अधिक ठेके लेने वाले ठेकेदार प्रथम श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क 1000.00 प्रति वर्ष होगी ।

(ब) 10,000.00 से 50,000.00 तक की धनराशि के ठेके लेने वाले ठेकेदार द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क 500.00 रु० प्रति वर्ष होगी ।

(स) 10,000.00 से नीचे के लिये ठेके लेने वाले ठेकेदार तृतीय श्रेणी के ठेकेदार होंगे और उनके लिये लाइसेन्स शुल्क 250.00 प्रति वर्ष होगी ।

11—शासन के किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग संस्थाओं के लिये भी आवश्यक होगा कि वह अपने कार्यों के ठेके जिला परिषद्, गोरखपुर से पंजीकृत [illegible] [illegible] ठेकेदार को ही दें ।

12—यदि किसी विभाग अर्द्ध सरकारी संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग संस्थाओं द्वारा विभागीय नियमों, उपनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत ठेकेदारी को विनियमित करने का प्राविधान है अथवा आगे किया [illegible] [illegible] उपविधि के प्राविधान यथाविधि लागू रहेंगे और विभागीय नियमों, उपनियमों अथवा [illegible] नये प्राविधानों के अन्तर्गत [illegible] [illegible] के [illegible] मिश्र होगा ।

13—तकनीकी कार्यों के लिये सम्बन्धित विभाग की अनुमति प्रस्तुत करने पर ही जिला परिषद् द्वारा इस उपविधि के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा ।

14—जो ठेकेदार जिला परिषद्, गोरखपुर में ठेकेदारी करना चाहे उनके ऊपर भी उपर्युक्त उपविधियां यथावत् लागू होंगी और उन्हें भी उपनियम क्रम संख्या 10 के अनुसार लाइसेन्स शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स प्रदान किया जायेगा ।

शास्ति

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद्, गोरखपुर घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर 250.00 (दो सौ पचास रुपये) तक का अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम [illegible] सिद्ध होने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, दस रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता और जुर्माना अदा न होने पर 3 (तीन) माह का कारावास भी किया जा सकता है ।

अभय प्रकाश वर्मा,
आयुक्त,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 276

22 दिसम्बर, 1989 ई०

सं० 768/सैनि-89-89—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) (1) (क) 4 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ठेके के पर मृतक पशुओं के शव, हड्डी, चमड़ा के निस्तारण, प [illegible] वाले अन्य वस्तुओं के निर्यात आदि को विनियमित एवं नि[illegible] करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाये हैं, इससे सम्बन्धित उपविधियों को निरस्त करते हुये बनाया है । आयुक्त ने उसकी पुष्टि की है और ये उक्त अधिनियम की धारा 242 की उपधारा (2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित किये जाते हैं । ये उपनियम गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

उपनियम

1—जिला परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यह उपनियम लागू होंगे ।

2—जिले के अन्तर्गत [illegible] ग्राम [illegible] मृतक पशु[illegible] के निस्तारण हेतु ऐसा स्थान [illegible] स्थान, [illegible]

पशुपालन निस्तारण

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

	3
	रु0
	प्रति दुकान
27 मुर्गा व मुर्गी	2.00
28 तरकारी	0.50
29 मछली फरोश	0.50
30 कुम्हार	0.50
	प्रति राज
31 कपड़ा फरोश	2.00
	प्रति दुकान
32 कपड़ा बजाज	2.00
33 कपड़ा अल्युमिनियम पीतल कसई के बर्तन	1.00
34 दस्तकार फरोश	1.00
	प्रति रास मेज, ताम्र, बैल
35 पशिस्तों मवेशी	1.00
	प्रति दुकान
36 कोल्हू मूज आदि	0.50
37 व्यापारी के पास, हलवा, दूध आदि की दुकान	1.00
38 बीड़ी के विक्रेता	1.00
39 कसाई	0.50
40 ...घास, चोकर, लैम्प, मक्खन, बर्फ, आइसक्रीम आदि	1.00
41 तम्बाकू, सुरती, पान आदि	0.50
42 सब्जी की दुकान	0.50
	प्रति दुकान
... बरतन	0.25
	प्रति खोमचा
... खोमचा	1.00
	प्रति ठोकरी
45 घास चारा आदि	0.25
	प्रति ...
... की सड़क	1.00
...	
— खोमचा, पान, सिगरेट, बीड़ी आदि	प्रति खोमचा 0.25
	प्रति दुकान
48 ... लकड़ी, कोयला आदि	2.00
	प्रति दुकान
49 ... आदि	0.50
	प्रति खोमचा
50 ... आदि	0.25
	प्रति दिन
51 ... से किसी प्रकार की दुकान (10 × 10)	0.60
	प्रति दिन
52 ...	2.00
	प्रति दुकान खोमचा
... की दुकान पर	0.50

दण्ड

उपरोक्त नियमों में किसी भी उप नियम का उल्लंघन करने वाले पर या उल्लंघन करने वाले को या प्रश्रय देने वाले के विरुद्ध क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके परिषद्, निर्देश देती है कि ऐसा आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 250.00 रु0 दण्ड का दण्ड दिया जा सकता है और यदि अपराधी के निरन्तर उल्लंघन करने की दशा में प्रथम अपराध सिद्ध होने के पश्चात् 10.00 रु0 प्रति दिन के लिए अतिरिक्त हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास का दण्ड होगा जो तीन माह तक हो सकेगा।

सं0 2062/तेरह-8(89-90)—जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रों में सम्पादित किये जाने वाले ठेके के कार्यों को सुव्यवस्थित एवं नियमित करने हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत उपविधियां बनायी हैं तथा जिनकी पुष्टि आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा की गयी है, को उक्त अधिनियम की धारा 242(3) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। ये उपविधियां गोरखपुर जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

उपविधि

1—कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति, कम्पनी आदि जो जनपद गोरखपुर की ग्रामीण सीमान्तर्गत राज्य सरकार के किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, परिषद्, बोर्ड, अन्य स्थानिक संस्थाओं आदि से ठेके लेकर भवन सड़क, पुल पुलियों व नहरों आदि के निर्माण, मरम्मत, खुदाई व भराई सम्बन्धी कार्य करना चाहे तो उसे अपने को जिला परिषद्, गोरखपुर में पंजीकृत कराकर लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

2—ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि वह जिस विभाग अथवा संस्था में ठेकेदारी का कार्य करना चाहता है, उस विभाग के विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित पंजीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र निम्न प्रमाण-पत्रों के साथ देगा—

(क) अपने निवास स्थान से सम्बन्धित थाने से चरित्र प्रमाण-पत्र।

(ख) शासन के भाल विभाग के किसी अधिकारी से हैसियत प्रमाण-पत्र जो तहसीलदार स्तर से कम न हो।

(ग) जिस विभाग में ठेकेदारी करना हो उस विभाग के विभागाध्यक्ष से ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण-पत्र।

3—जिला परिषद् के अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पंजीकरण व लाइसेन्स दिये जाने की स्वीकृति परिषद् के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। स्वीकृति के पश्चात् यथा विधि ठेकेदार को पंजीकृत करते हुये लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

4—किसी विभाग अथवा संस्था आदि की कोई शिकायत ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त होने, सार्वजनिक हित के विरुद्ध कार्य करने या लाइसेन्स का अनुचित रूप से प्रयोग करने आदि की दशा में अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि ...

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

(1) (9)

[illegible] मवेशी बन्द स्थान निश्चित करेंगे जो आबादी से 200 [illegible] दूरी पर न होगी ।

[illegible] के चमड़ा तथा उपयोगी हड्डी निकालने के पश्चात् [illegible] काम के लिये गड्ढे में ढक दिया जायेगा या ग्राम प्रधान [illegible] बाद के लिये नीलाम करेंगे तथा उससे प्राप्त धन [illegible] में जमा करेगा ।

[illegible] विशेष के मृतक पशुओं के अतिरिक्त अन्य पशुओं [illegible] प्रधान की सहमति से बेच दिया जायेगा तथा ग्राम [illegible] पारिश्रमिक देने के पश्चात् शेष धन जिला निधि [illegible] देगा ।

[illegible] पशुओं की हड्डियों, खुर तथा सींग लेकर संग्रह [illegible] औद्योगिक समितियां या समितियां न होने की दशा में [illegible] द्वारा प्राप्त ठेकेदार करेगा अथवा करवायेगा । [illegible] परिषद् द्वारा इस हेतु अधिकृत नीलामी की बोली देकर [illegible] ठेके की अवधि 1 अप्रैल से दूसरे वर्ष 31 मार्च तक होगी, [illegible] शासन से भी आयेगी ।

[illegible] 8—इस कार्य के लिये एक जिला [illegible] में एक अथवा एक [illegible] अधिक ठेके हो सकते हैं ।

[illegible] 7—ठेकेदार अपने गांवों में हड्डियों को एकत्र करने हेतु [illegible] स्थापित करवायेगा । यह गोदाम बस्ती से कम से कम 800 [illegible] की दूरी पर होंगे ।

[illegible] चमड़ा एवं ठेका का नीलाम हड्डी, खुर तथा [illegible] जो आय जिला परिषद् को होगी उसका वितरण परिषद् तथा सम्बन्धित ग्राम सभा में 50–50 प्रतिशत होगा ।

9—स्वास्थ्य विभाग तथा जिला परिषद् के अधिकारी एवं कर्मचारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा कर समाहर्ता के पद से कम न हों उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की जांच तथा सूचना कार्य अधिकारी, जिला परिषद् को करेंगे ।

10—कार्य अधिकारी अथवा अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् की अनुमति से, उपनियमों के उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेंगे ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये परिषद् यह आदेश देती है कि इन उपनियमों के आदेश का उल्लंघन होने पर सर्व प्रथम को 250 रुपये तक दण्ड [illegible] को तीन माह [illegible] या दोनों को [illegible] सकती है और उल्लंघन बराबर होता रहे तो प्रथम दण्ड के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है तो 10 रु० प्रति दिन तक अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित होगा । जो तीन माह तक हो सकेगी ।

बी० बी० [illegible],
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।

18 सितम्बर, 1989 ई०

सं० 3/1117/88–23/6/24–88—उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, 1947 (ऐक्ट संख्या 26, 1947) की धारा [illegible] जिसके अधिकार निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश को शासकीय विज्ञप्ति संख्या 4193-क/33–6–64, दिनांक 27 मार्च, 1968 द्वारा प्रतिनिहित किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, पी० एन० मिश्रा, निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जनपद ललितपुर की गांव सभाओं की स्थापना एवं गठन के सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 3/2419/33, दिनांक 24 नवम्बर, 1977 में निम्न प्रकार संशोधन करता हूँ ।

यह संशोधन गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

जनपद—ललितपुर । तहसील—ललितपुर

वर्तमान स्थिति			संशोधित स्थिति		
क्रमांक	गांव सभा का नाम	सम्मिलित ग्राम	क्रमांक	गांव सभा का नाम	सम्मिलित ग्राम
157	सुरखारा	1—सुरखारा	चारों ग्राम सभायें राजघाट बांध के डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण ग्राम सभाओं को समाप्त किया जाता है ।		
164	[illegible]	1—[illegible]			
17	[illegible]	1—[illegible]			
23	[illegible]	1—[illegible]			

पी० एन० मिश्रा,
निदेशक ।

पी०एस०यू० पी०—44 हिन्दी गजट भाग 3—1990 ई०।

मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

गट

20 जून 1998 ई०

सं० 2220/23-53-1998--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत जिला पंचायत प्रतापगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाली नदियों, पोखरों, तालाबों, झीलों, आदि में मछली पकड़ने एवं शिकार के कार्यों के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित करने को उपविधि बनाई है जो निम्नवत् है : यह उपविधि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी ।

उपविधि

1--कोई व्यक्ति जिला पंचायत प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में (गंगा नदी को छोड़कर) न तो शिकार करेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकार करायेगा । जब तक कि उक्त कार्य के लिए उसके पास जिला पंचायत प्रतापगढ़ का ठेका/लाइसेन्स न हो ।

2--मछली मारने, शिकार करने अथवा कराने के लिए ठेके/लाइसेन्स देते समय पंजीकृत सहकारी समितियों/स्थानीय मल्लाहों को प्राथमिकता दी जायेगी । पंजीकृत सहकारी समितियों अथवा स्थानीय मल्लाहों के न होने की दशा में ठेके की नीलामी अन्य वर्गों को भी की जा सकती है तथा लाइसेन्स निर्गत किये जा सकेंगे ।

3--जिला पंचायत प्रतापगढ़ के अपर मुख्य अधिकारी ठेके की नीलामी अथवा लाइसेन्स निर्गत करने के सक्षम अधिकारी होंगे । ठेकेदारों/लाइसेन्सधारियों द्वारा उपविधि की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर उनको लिखित रूप से नोटिस के जरिये सूचना देते हुए ठेके को निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है ।

4--ठेका/लाइसेन्स नदी की दूरी दर्शाते हुए किलो मीटर [illegible] सीमा से मान्य होगा । दूरी का निर्धारण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा किया जायेगा ।

5--1.5 कि० ग्राम से कम भार के रोहू, नैन, भाकुर, करौंच अथवा महाशेर मछलियों का शिकार करना वर्जित है ।

6--ठेके/लाइसेन्स की निर्धारित अवधि में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक शिकार करना वर्जित रहेगा । ठेकेदार की माही पार्टी उक्त अवधि में नदी पर नहीं रहेगी, कोई जोरा, एकत्रीकरण किये जाने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

7--घड़ियाल, मगर, कछुआ का शिकार करना वर्जित होगा ।

8--कोई भी ठेकेदार नदी में मछलियों को रोकने हेतु स्थायी रूप से जाल बांध कर नहीं रखेगा ।

9--ठेकेदार द्वारा पांच सेन्टीमीटर से कम फासले का जाल मछली पकड़ने के प्रयोग में नहीं लाया जायेगा ।

10--शिकार करने के लिये ठेकेदार द्वारा नदी, तालाब एवं पोखरों में कोई विषैली एवं विस्फोटक पदार्थ उपयोग में नहीं लावेगा । जिससे जल प्रदूषित होने के कारण जल में पलने वाले जीव, जन्तुओं के मरने की सम्भावनायें पाई जायें ।

11--राजकीय कार्य जैसे अनुसंधान आदि कार्य के लिये किसी भी प्रकार की मछली पकड़ने अथवा [illegible] शिकार माही करने में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

12--जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, [illegible] अधिकारी, कर अधिकारी, राजस्व निरीक्षक को किसी भी समय ठेकेदार द्वारा शिकार की गई मछलियों का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा । यह निरीक्षण नदी के किनारे अथवा ठेकेदार द्वारा वाहन अथवा स्थापित गोदामों पर भी किया जा सकता है ।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

13—ठेके की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होगी किन्तु उपविधि संख्या 6 में अंकित ... में ठेका को निरस्त भावी रखा जायेगा।

14—किन्ही विशेष परिस्थितियों में जबकि मछली के सम्पूर्ण विनाश का भय उत्पन्न हो जाय तो शिकार ग्राही बन्द करने अथवा नियमित करने का अधिकार जिला पंचायत का होगा। इस स्थिति में ठेकेदार/लाइसेंसधारी को किसी प्रकार का मुआवजा देय न होगा।

15—इस विषय में किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा अन्य समितियों द्वारा कोई उपविधियाँ होगी तो यह इस उपविधि के गजट में प्रकाशन के दिनांक से निष्प्रभावी/निरस्त समझी जायेंगी।

16—यह उपविधियाँ गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी समझी जायेंगी।

17—तालाबों, पोखरों के लिये निम्नलिखित की दरें निर्धारित की जाती हैं।

(1) 20 कुन्तल तक शिकार करने की लाइसेन्स की दरें रु० 1000.00 निर्धारित की जाती है।

(2) 20 कुन्तल से ऊपर किन्तु 40 कुन्तल तक शिकार करने के लिये लाइसेन्स फीस रु० 2000.00 होगी।

(3) 40 कुन्तल से ऊपर तो मछली के शिकार करने के लिये लाइसेन्स फीस रु० 5000.00 वार्षिक निर्धारित की जाती है।

दण्ड

जिला [illegible]ापगढ़, उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकारों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देती है कि जो इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा उसको अर्थ दण्ड रु० 250.00 तक हो सकेगा तथा जब ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा जो प्रथम बोध सिद्ध हो जबकि उसमें अपराधी अपराध करता रहा हो रु० 10.00 प्रतिदिन हो सकेगा। अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जावेगा जो 3 मास तक का होगा अथवा दण्ड प्रक्रिया जो शासन द्वारा निर्धारित की जावेगी मान्य होगी।

बी० के० शर्मा,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल,
इलाहाबाद।

पी०एस०यू०पी०—18 हिन्दी गजट—भाग—7, 1998 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

[illegible] सोमवार, 31 अगस्त, 2004 ई० (श्रावण 30, 1926 शक संवत्)

डिसिपल कर

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख--नगर पंचायत, खण्ड-ग--निर्वाचन [illegible] (स्थानीय निकाय), खण्ड-घ--जिला पंचायत।

खण्ड--घ--जिला पंचायत

22 मार्च 2004 ई०

[illegible] -02-2004 [illegible] संख्या [illegible] 23-105-1992,--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला [illegible] (1), 7 दिसम्बर, 1992 का ईंट भट्ठा उपविधि संशोधन--

उपविधि संख्या 6, 8 व 13 में संशोधन

वर्तमान उपविधि	प्रस्तावित उपविधि
[illegible] आवेदन निर्धारित [illegible] रु० [illegible] प्रति [illegible] रु० 5.00 प्रति [illegible]	उपविधि संख्या 6--अनुज्ञा पत्र में आवेदन निर्धारित [illegible] किया जायेगा, जो निर्धारित [illegible] कर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया [illegible] मूल्य नये भट्ठे हेतु 100.00 रु० प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिए 50.00 रु० प्रति आवेदन-पत्र होगा।

सत्यापित

[signature]

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

... निम्नलिखित होगा।

वर्तमान शुल्क	रु0	प्रस्तावित शुल्क	रु0
(अ) चिमनी ईंट भट्ठा	2000.00	(अ) चिमनी ईंट भट्ठा	5000.00
(ब) बिना चिमनी ईंट भट्ठा	100.00	(ब) बिना चिमनी ईंट भट्ठा	500.00
(स) टाइल्स अनुज्ञा-पत्र	500.00	(स) टाइल्स अनुज्ञा-पत्र	1000.00
(द) चूना या सुर्खी इंजन शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने की लाइसेन्स शुल्क फीस	500.00	(द) चूना या सुर्खी इंजन शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने की लाइसेन्स शुल्क फीस	1000.00
(य) चूना या सुर्खी बैलगाड़ी द्वारा बनाने या फूंकने की लाइसेन्स शुल्क फीस	100.00	(य) चूना या सुर्खी बैलगाड़ी द्वारा बनाने या फूंकने की लाइसेन्स शुल्क फीस	500.00

उपविधि संख्या 13	उपविधि संख्या 13
एक अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक नवीनीकरण कराने पर रु0 300.00 विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्ठा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	एक अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक लाइसेन्स ईंट-भट्ठा नवीनीकरण कराने पर विलम्ब शुल्क रु0 500.00 तथा 1 जनवरी से 31 मार्च तक नवीनीकरण पर रु0 300.00 प्रतिमाह लेकर किया जायेगा। इसके बाद नवीनीकरण न कराने पर अदालती कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

देव दत्त,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल,
इलाहाबाद।

पी0 एस0 यू0 पी0--21 हिन्दी गजट--भाग 3--2004 ई0।
मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

[illegible]

मुकेश [illegible] गौड़,
आयुक्त,

7 दिसम्बर, 1992 ई०

सं० 946/23--105-1992—यू० पी० क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) (ट) व (चार) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद, प्रतापगढ़ ने अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा, चूना, टाइल्स, खपड़ा तथा सुर्खी भट्ठी आदि को विनियमित करने के उद्देश्य से इस विषय पर इससे पूर्व के समस्त उपविधियों को निरस्त करते हुये निम्नांकित उपविधि बनाये हैं जिसकी पुष्टि आयुक्त ने कर दी है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित [illegible] है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

उपविधि

1—[illegible]

2—[illegible]

[illegible]

न सुर्खी दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर न बनाया या फूँका जायगा न ही बनवाया या फुकवाया जायगा।

(ङ) सार्वजनिक राष्ट्रीय या राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जायगा और न ईंट टाइल्स, खपड़ा, चूना या सुर्खी आदि फूंका जायगा और न ईंट या खपड़ा आदि एकत्रित किया जायगा और न उनके बनाने व निर्माण करने या फूंकने का प्रयत्न किया जायगा।

(च) (1) आम के बाग से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ईंट भट्ठों की दूरी 1.5 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिये। उत्तर दक्षिण में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल आम [illegible] बागों पर लागू होगी, जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से दो एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उनकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायगा, जो एक दूसरे से मिले हों। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत जिला परिषद के कार्य अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।

3—इन उपविधियों के अनुसार लाइसेंस की अवधि एक अक्तूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4—इन उपनियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेंस अधिकारी को अनुज्ञापत्र निरस्त करने, निलम्बित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

5—लाइसेंसिंग अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध तीस दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला परिषद को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

6—अनुज्ञा-पत्र मे आवेदन निर्धारित रूप-पत्र पर किया जायगा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जायगा। जिसका मूल्य नये भट्ठे हेतु रु० 10.00 प्रति-आवेदन पत्र तथा नवीनीकृत के लिये रु० 5.00 प्रति-आवेदन पत्र होगा।

7—अनुज्ञा-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ईंट, खपड़ा, चूना आदि के बनाने या फूंकने के स्थल का भौमिक स्वत्व अभिलेख, जो 6 माह से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका इकरारनामा राजस्व नियम और निर्धारित नियमों के अन्तर्गत करा कर प्रस्तुत करना होगा।

8—शुल्क निम्नलिखित होगा—

	वार्षिक रु०
(अ) चिमनी, ईंट, भट्ठा	2000.00
(ब) बिना चिमनी ईंट भट्ठा अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00
(स) टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	800.00

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

	रु० वार्षिक
[illegible] की सांचा द्वारा बनाने का अनुज्ञापत्र शुल्क	300.00
(ग) चूना व सुर्खी हाथ चक्की द्वारा बनाने का अनुज्ञापत्र शुल्क	100.00

9—ईंट भट्ठा, चूना, सुर्खी, खपड़ा आदि के बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय जिला परिषद, प्रतापगढ़ को दिया जायगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हैं, तो पूर्व अनुज्ञा-पत्र की तिथि के समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10—कोई व्यक्ति, फर्म कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो, या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिसका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी कर अधिकारी तथा जिला परिषद के अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गई हो मांग लें देने से इन्कार नहीं करेंगे।

11—भट्ठा की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्ठा या फर्म का नाम उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

12—ईंट भट्ठा, सुर्खी, खपड़ा, चाहक मालिक यदि लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरुद्ध धारा 133 सी०आर०पी०सी० के अधीन कार्यवाही, सीज भट्ठा की जायेगी।

13—1 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक नवीनीकरण करने पर रु० 300.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठे के मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

14—यह उपविधियां गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद यह निर्देश देता है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अंकन रु० 250.00 तक होगा। और ऐसा उल्लंघन जारी रहे, तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु० 10.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकेगा, अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास दण्डित किया जायगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

डी०एस० लाली,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

[illegible] संख्या 611/23-59-1997, दिनांक: 18 फरवरी, 1997

पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों तथा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी मॉडल उपविधियाँ :

प्रकाशित हेतु

दिनांक

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित है की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत ने अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों, अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनाई है [illegible] उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजन हेतु प्रकाशित की जाती है यह उपविधियाँ गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी।

परिभाषायें

1- ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में दी गई परिभाषा से है -

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है जहाँ जिला पंचायत की भूमि अथवा किसी संस्था [illegible] निजी सम्पत्ति सम्मिलित है शामिल हो। जहाँ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु लाये जाते हैं।

3- पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4- रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस व्यस्क व्यक्ति से है जिसे लाइसेन्स अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क वसूली हेतु रसीद जारी करने निमित्त नियुक्त किया है। निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उनके मैनेजर अथवा प्रबन्धक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

5- दलाल का तात्पर्य उस व्यस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी [illegible] पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में [illegible] अधिकृत किया गया हो।

6- ठेकेदार का तात्पर्य भी उस व्यस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत ने [illegible] पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिये प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया हो।

अधिनियम भाग-1

1- [illegible] जिला पंचायत, [illegible] क्षेत्र में कोई पशु मेला,

सत्यापित

पशु बाजार, पशु पैठ, एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है वो इन उपनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिये बाजार में आये हुये व्यक्तियों के ठहरने जानवरों के पानी तथा सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध व रख रखाव स्वयं करना होगा।

3- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय - 2 पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थों की जाँच एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा अधिकारियों द्वारा जाँच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक, प्रबन्धक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

4- एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार पशु पैठ, एवं पशु प्रदर्शनी मे व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक मैनेजर प्रबन्धक अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

5- जिला पंचायत के अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अपर अभियन्ता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रभारी चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा कार्याधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

6- नये पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

7- नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह आ दिन के पूर्व जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त कर लेंगे। लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

[illegible] किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 3 किलो[illegible] [illegible] किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने के पूर्व से [illegible] [illegible] रहे पशु मेलों, पशु बाजारों पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावी [illegible]।

[illegible] हर वर्ष का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेन्स शुल्क [illegible] नया लाइसेन्स बनवा लिया जाय अन्यथा तीन सौ रुपया प्रतिमाह अर्थ दण्ड

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

शुल्क के किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करने ही लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा लाइसेन्स नवीनीकरण में भी यही विधि अपनाई जायेगी, परन्तु लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों में लाइसेन्स [redacted] तथा दिये गये लाइसेंस शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

10- जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही है, उनके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम सं० 9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेले, पशु बाजार पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी सीमा तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार [redacted] अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

11- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत [redacted] इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी होगा।

अधिविधि भाग-2

1- कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी की अनुमति से रु० 250-00 वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3- किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी संचालक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा [पारिश्रमिक] न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर से कम न होगा।

3क- जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला पशु बाजार पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह एक रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारी को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय न होगा।

4- रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

5- किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात नहीं की जायेगी।

6- रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से रु० प्रति सैकड़ा शुल्क वसूल करेगा, जो किसी भी दशा में रु० 20-00 से कम नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत को किसी [illegible] द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा। यदि किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा अधिनियम के किसी अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक को [illegible] की नोटिस दी जायेगी और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नहीं [illegible] लाइसेंसिंग अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिला पंचायत द्वारा [illegible]

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, तथा पशु प्रदर्शनी के नियम लिखित में अपने प्रबन्ध के लिये जो अधिसूचना जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबन्ध किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी जिसमें स्थापित पशु मेले जिला पंचायत के विशेष [illegible] अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था से होने वाली आय से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय व्यय काटकर शेष धनराशि किसी प्रबन्धक अथवा ठेकेदार को वापस की जायेगी।

8- जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में व्यापारियों द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

9- रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर से जारी करेगा तथा उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के नियम 10(2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म 54 में मार्क देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक साथ में दो या दो से अधिक पशु बेचे जायें तो एक ही बिक्री प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

10- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्धक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उक्त पुलिस रेगुलेशन के नियम 10(2) में निर्धारित पुलिस फार्म 54 पुस्तकें, जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी लागू होगी।

11- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की प्रतियाँ [illegible] के स्थान पर चिपका दें।

12- कोई भी व्यक्ति जिलाधिकारी द्वारा घोषित अथवा किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से ग्रसित पशु को नहीं ला सकेगा। सम्बन्धित जिला पंचायत के अधिकारी अथवा किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

13- कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर पंजीकृत कराने के लिये जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेंगे।

14- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नलिखित शुल्क देय होगा।

(1) वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेन्स शुल्क—
रु० 5000-00 वार्षिक

(2) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेन्स शुल्क—
रु० 10000-00 वार्षिक

(3) वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेन्स शुल्क—
रु० 15000-00 वार्षिक

(4) सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेन्स शुल्क—
रु० 2000-00 वार्षिक

(5) सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैठ का लाइसेन्स शुल्क—
रु० 4000-00 वार्षिक

(6) वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क—
रु० 2000-00 वार्षिक

सत्यापित

(7) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क :- रू 1000-00 वार्षिक

अनुसूची भाग-3

1- जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठ व पशु प्रदर्शनियों में क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्पर्क स्थापित करने हेतु चौधरी अथवा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा। ऐसे चौधरी तथा दलाल निम्नांकित शर्तों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे।

कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

2- रू 250-00 वार्षिक शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी का लाइसेन्स दिया जायेगा।

3- चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा।

(क) पशु के रू 100-00 तक मूल्य पर	रू0 0.50 पैसे
(ख) पशु के रू 1000-00 तक [illegible]	रू 2.00 पैसे
(ग) पशु के रू 1000-00 से ऊपर	रू 5.00

4- जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी से अन्य [illegible] किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेन्स अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

उपविधि भाग-4

1- जिला पंचायत [illegible] द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डों की व्यवस्था रहेगी।

2- जिले के स्थानीय क्षेत्र में लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

3- यातायात की [illegible] तथा [illegible] की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डे [illegible] वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डे बनाई जायेगी।

4- जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। जिससे [illegible] पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी [illegible] अड्डों की स्थापना [illegible] व्यवस्था संचालन के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थानों में कोई समस्या नहीं रहेगा।

5- अड्डे पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा।

वाहन की किस्म	शुल्क
1- [illegible] या [illegible] से जाने वाली	5-00 रू0
2- [illegible] से जाने वाली	10-00 रू0
3- [illegible] या [illegible] किराये पर [illegible]	125-00 "

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

4- बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हों ---

5- सामान भरा हुआ टैम्पो का आवागमन — 150-00 रु

6- खाली टैम्पो का आवागमन ----- 5-00 "

7- सामान भरा ट्रैक्टर ट्राली मेटाडोर तथा छोटा ट्रक — 6-00 "

8- सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक — 25-00 "

30-00 "

परिशिष्ट-9

1- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिये मेलों में आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर रोक की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

2- पशुओं की जांच के लिये जिला पंचायत अथवा जिले के पशुपालन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

3- जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुपालन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी, जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी।

4- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर से व्यवस्था करा सकता है और उस पर होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी संचालक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा

5- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्नांकित प्रवेश शुल्क देय होगा।

प्रवेश शुल्क

1- गाय का बछड़ा, भैंस का पाड़ा/पड़िया संवर्ग का एक वर्ष तक — रु 1-00 प्रति पशु

2- बकरा, बकरी संवर्ग — रु 2-00 " "

3- गाय, बैल, भैंस झोटा, झोटी संवर्ग — रु 2-00 " "

4- ऊँट एवं घोड़ा — रु 3-00 " "

6- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि:-

1- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल साफ रखें।

2- पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था करायें।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी

(घ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, अथवा पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा जानवरों के लिये समुचित पेयजल की व्यवस्था।

(ङ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं को चिकित्सक द्वारा आवश्यक संगरोध का प्रबन्ध कराये।

(च) आगन्तुकों के ठहरने के लिये भी समुचित व्यवस्था प्रबन्ध कराये।

(छ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराये।

(ज) संक्रामक रोगों से बचने के लिये आवश्यक दवाओं एवं इंजेक्शन का भी समुचित प्रबन्ध कराये।

(झ) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि-6

1- ~~[illegible]~~ जिला पंचायत द्वारा ठेका पर पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी से [illegible] अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के निर्देशानुसार [illegible] जायेगा।

2- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आई हुई दुकानों आदि से [illegible] की दरें व अन्य शर्तें तहबाजारी नियंत्रण उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार ली जायेगी।

3- पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को ठेके पर नीलामित करने, [illegible] पशु प्रवेश शुल्क की वसूली [illegible] वर्ष के [illegible] नीलामित करने अथवा [illegible] नीलामित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की नीलामी एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और वित्त अधिकारी व [illegible] सदस्य होंगे। [illegible] तहबाजारी नियंत्रण उपविधि के नियम 5 (13 से 17) तक के उपनियमों [illegible] तहबाजारी नियंत्रण [illegible] भी [illegible] लेने से कराये।

4- जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी [illegible] के लगने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख रेख में निश्चित किया जायेगा।

5- किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों [illegible] के लगने आदि का स्थान लाइसेन्स आवेदन पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के [illegible] निश्चित किया जायेगा। लाइसेन्स अधिकारी की अनुमति से [illegible] आवश्यकतानुसार स्थान व व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

6- निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल, क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुये खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उस पर विचार किया जायेगा ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु० 1,000-00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दंडित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसने अपराधी अपराध करता है, रु० 10-00 प्रतिदिन तक दण्ड किया जा सकेगा ।

ह०

{ बी०के० शर्मा }
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल,
इलाहाबाद ।

संख्या /XXIII-39-1997, दिनांक: - -1997

1- प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित ।

{ दया शंकर श्रीवास्तव }
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।

संख्या 612 /XXIII-39-1997, दिनांक: 18-11-1997

2- प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला पंचायत, प्रतापगढ़ को उनके पत्र संख्या 161/ जि.पं./1997-98, दिनांक 11-6-97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ज्ये.प्र.अधिकारी

{ दया शंकर श्रीवास्तव }
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

दण्ड

जिला पंचायत गाजियाबाद, उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों की किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो प्रथम रु0 250.00 तक हो सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा। दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिससे यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 10.00 तक हो सकेगा, यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 6 माह तक होगा।

एच0 एल0 बिरदी,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

25 जुलाई, 1997 ई0

सं0 2636–37/23-7-1997––विज्ञप्ति संख्या 1053/21–75(74–75)–3, दिनांक 30 अगस्त, 1975, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) उ0 प्र0 पंचायत विधि, संशोधन अधिनियम, 1994 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9 सन् 1994) के अन्तर्गत संशोधित की धारा 135 के साथ पठित धारा 145 एवं 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ने अपने नियंत्रणाधीन जिला प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक भूमि अथवा निजी भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाले बाजारों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उप विधियां निर्मित की हैं। आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है, और यह उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोग हेतु प्रकाशित की जाती है। यह उपविधियां गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी, यदि इस सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत, प्रतापगढ़ में कार्यालय दिवस में कर सकते हैं।

उपविधियां

1––कोई भी व्यक्ति बिना जिला पंचायत की आज्ञा के किसी भी सार्वजनिक स्थान सड़क या मार्ग पर जिसकी सीमा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निर्धारित की गयी हो, न तो कोई वस्तु बेचेगा और न ही बिक्री के लिए रखेगा या बाजार लगायेगा, न दुकान के लिए स्थान घेरेगा, न कोई गाड़ी या पशु (क्रय विक्रय हेतु) बाजार के लिए खड़ा करेगा, जब तक जिला पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क अदा न कर दें।

2––उस गाड़ी से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, किसी मकान या भवन के सामने केवल सामान उतारने के लिए खड़ी हो।

3––तहबाजारी दरों की तालिका जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित बाजार में उपयुक्त स्थानों पर लगायी जायेगी, तथा उसकी प्रति सर्वसाधारण के सूचनार्थ भी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

4––तहबाजारी संग्रह का कार्य ठेके पर कराया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में जिला पंचायत अपने कर्मचारियों के माध्यम से भी यह कार्य करा सकती है।

5––तहबाजारी के ठेकों की नीलामी हेतु एक समिति होगी, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी व वित्त परामर्शदाता सदस्य होंगे। नीलाम की कार्यवाही में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा ––

1––नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति को राजस्व विभाग से हैसियत प्रमाण-पत्र तथा पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो क्रमशः तहसीलदार तथा क्षेत्राधिकारी स्तर से कम का न हो।

2––जिला पंचायत के किसी भी बकायेदार को नीलामी में भाग लेने का अधिकार न होगा।

3––नीलाम समिति द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही कोई व्यक्ति नीलामी बोली में भाग ले सकता है। नीलाम बोली के दौरान जमानत धनराशि बढ़ाने व तुरन्त जमा कराने का अधिकार नीलाम समिति का होगा, सामान्यतया उच्चतम बोलीदाता प्रथम व द्वितीय की जमानत धनराशि रोककर अन्य बोली दाताओं को जमानत धनराशि नीलाम की समाप्ति के बाद वापस की जा सकती है।

4––साधारण तथा नीलाम में उच्चतम, बोली दाता को बोली का सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

5––यदि नीलाम समिति द्वारा सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया जाता है तो जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित मूल्य की निविदा के साथ नीलाम समिति द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि नकद जमा करने के साथ ही सीलबन्द निविदा देना अनिवार्य होगा।

6––निविदायें नीलाम समिति द्वारा खोली जायेंगी। नीलाम समिति की संस्तुति पर नीलामी बोली अथवा निविदा अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत की जायेगी। दोनों ही परिस्थितियों में नीलाम धन की सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने तथा अनुबन्ध-पत्र दाखिल करने के पश्चात् ही

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत-प्रतापगढ़

तहबाजारी वसूली का कार्यादेश जारी किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में नीलाम धनराशि की किश्तें निर्धारित करने का अधिकार नीलाम समिति में निहित होगा। यदि किसी ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि पर नीलाम की धनराशि अथवा किस्त में निर्धारित धनराशि को जमा नहीं किया जाता तो नीलाम समिति की संस्तुति पर ठेका समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

(7) यदि ठेके की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही ठेकेदार ठेका छोड़ देता है अथवा उसके द्वारा उपविधियों की शर्तों का पालन न करने पर उसका ठेका समाप्त किया गया हो तो ठेका पुनः सार्वजनिक नीलाम अथवा निविदा आमंत्रित करके उठाया जायेगा और यदि दुबारा ठेके में पहले ठेके की अपेक्षा कम धनराशि आती है तो कमी की पूर्ति पूर्व ठेकेदार से की जायेगी, जिसकी वसूली भू-राजस्व की बकाया की भांति की जा सकती है।

6—तहबाजारी वसूली का ठेका प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए उठाया जायेगा। सामान्यतया यह ठेका नीलामी की कार्यवाही वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व ही सम्पन्न कर ली जायेगी।

7—बाजार में सफाई का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

8—ठेकेदार को जिला पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

9—अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा उपविधि के प्राविधानों के विरुद्ध कार्य करने अथवा अनुबन्ध-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कारण बताये ठेके को निलम्बित कर दें, और ठेकेदार को उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को जब्त करने का कारण बताओ नोटिस जारी करें। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने और जमा धनराशि जब्त करने की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा ठेका निरस्त किया जायेगा।

10—उभय पक्षों में विवाद की स्थिति आने पर मामला मण्डलायुक्त को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पर बन्धनकारी होगा।

11—तहबाजारी शुल्क की बकाया धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय-8 के अन्तर्गत वसूल की जा सकती है।

12—तहबाजारी की वसूली केवल उसी दिन की जायेगी जिस दिन साप्ताहिक बाजार के दिवस निर्धारित हों।

13—तहबाजारी वसूली की दरें—

क्र0 स0	विवरण	प्रस्तावित दरें	वर्तमान दरें
1	2	3	4
1	गल्ला, गुड़, ईख, शक्कर तथा हर प्रकार धान्य व खाद पदार्थ या उससे बना हुआ सामान	1.00 प्रति बोरा	0.50 प्रति बोरा
2	घी या तेल प्रति टीन	1.00 प्रति टीन	0.25 प्रति टीन
3	मिट्टी का तेल, डीजल, फुटकर प्रति ड्रम	1.00 प्रति टीन	0.15 प्रति टीन
4	सूखे व हरे फल, तरकारियां (प्रति दुकान)	2.00 प्रति डलिया	0.25 प्रति डलिया
5	(अ) सन व जूट की रस्सी व चटाई सिरकी या दूरी इसी प्रकार की वस्तुयें व्यवसायी	1.00 प्रति बोझ	0.25 प्रति बोझ
	(ब) मुर्गी, मछली पका हुआ खाना इत्यादि प्रति टोकरी	2.00 प्रति टोकरी	0.25 प्रति टोकरी
6	खुला हुआ स्थान, जो 5×3 फिट से अधिक न हो, जिस पर कोई वांछित दुकान लगाता हो	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान
7	जूता बेचने वाला, जो क्रमांक 6 पर दिये हुए स्थान पर नहीं बैठता	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान
8	नमक प्रति बोरा प्रति दुकान	0.50 प्रति दुकान	0.10 प्रति दुकान
9	कपड़ा बेचने वाला क्रम संख्या-6 पर दिए गए स्थान पर नहीं बैठता	1.00 प्रति दुकान	0.50 प्रति दुकान
10	पान की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान
11	साइकिल की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान
12	चाय की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान
13	लकड़ी की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.50 प्रति दुकान
14	बिसातखाना की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.50 प्रति दुकान
15	मसाले की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान
16	दूध, दही की दुकान	2.00 प्रति दुकान	0.25 प्रति दुकान

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी

1	2	3	4
		रु०	रु०
17	मूंगफली, नमकीन, चाट या इसी प्रकार की वस्तुएं को खुन्चे पर नगर की फेरी करता है	1.00 प्रति खुन्चा	0.15 प्रति खुन्चा
18	बड़ा बाक्स, बखार, आलमारी	3.00 प्रति दुकान	0.20 प्रति दुकान
19	मरम्मत बड़ा बाक्स, बखार, आलमारी	5.00 प्रति दुकान	
20	किराना	2.00 प्रति दुकान	
21	सीमेन्ट, लोहा, मोरंग, मिट्टी, बालू	5.00 प्रति दुकान	
22	मशीनरी स्टोर	1.00 प्रति नग	
23	कबाड़	1.00	
24	मोटर पार्ट की दुकान	1.00	
25	मरम्मत	1.00	
26	वेल्डिंग मशीन	1.00	
27	पम्पिंग सेट/मोटर मशीन	2.00	
28	आरा मशीन की लकड़ी	5.00	
29	बैटरी, बेग की दुकान मरम्मत	1.00	
30	अन्य	1.00	

14—हाट बाजार या पशु बाजारों में लगने वाली मिठाई बाजारों में, साप्ताहिक या प्रति दिन बिकने वाले खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं को यह आवश्यक होगा कि वह कोई भी खाद्य पदार्थ खुले बर्तन में रखकर नहीं बेचेंगे, ढक कर रखेगा या जालीदार डिब्बे में रखेगा ताकि गंदगी फंसने का अंदेशा न रहे। अपर० मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ऐसे खाद्य पदार्थों का निरीक्षण कर सकता है और सड़ा गला अथवा खराब होने की स्थिति में उसे नष्ट करा सकता है।

15—जनपद में निजी भू-खंडों पर निजी स्वामित्व में लगने वाली बाजारों के स्वामियों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उप विधि लागू होने के एक माह के अन्दर अपनी बाजार को जिला पंचायत से पंजीकृत करा लें, और उपविधि की धारा 13 तथा धारा 10 में निर्धारित माप-दण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करें, उल्लंघनकर्ता बाजार स्वामी को जिला पंचायत द्वारा सुनवाई या पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् दोष सिद्ध पाये जाने पर यह अधिकार होगा कि ऐसी बाजारों में तहबाजारी वसूलने का कार्य जिला पंचायत अपने हाथ में ले ले और उसका नियंत्रण व प्रबन्धन करें।

16—ग्राम पंचायत तथा निजी भू-स्वामियों के द्वारा तहबाजारी हेतु जिला पंचायत में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन हेतु उन्हें नियमानुसार पंजीकरण शुल्क देना होगा।

		रु० प्रतिवर्ष
(1)	ग्राम्य पंचायत द्वारा आयोजित हाट बाजार हेतु	500.00
(2)	सप्ताह में एक बार लगने वाले निजी हाट बाजार हेतु	1000.00
(3)	सप्ताह में दो या दो से अधिक बार लगने वाले निजी बाजार पर	2000.00

17—ऐसे निजी बाजारों का पंजीकरण प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक करा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा रु० 25.00 प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

18—इस उपविधि के प्रवृत्त होने के दिनांक से उ० प्र० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन अथवा शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाली ग्राम पंचायत की बाजारें भी जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन हो जायेगी।

19—ग्राम पंचायत की बाजारों में भी उप विधि की धारा व में निर्धारित माप दण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में जिला पंचायत को अधिकार होगा कि सुनवाई या पर्याप्त अवसर देने के पश्चात दोष सिद्ध पाये जाने पर ऐसी बाजार को जिला पंचायत अपने नियंत्रण व प्रबन्धन में लेकर तहबाजारी वसूल कराये।

दण्ड

उत्तर प्रदेश पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु० 500.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दंडित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता है, रु० 50.00 प्रतिदिन अर्थ दण्ड लिया जा सकेगा।

सत्यापित

अनुराग गोयल,
आयुक्त,
इलाहाबाद मण्डल।

अपर मुख्य अधिकारी
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत प्रतापगढ़